क्रम-संख्या–269

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 2021

पौष 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1093/79-वि-1–21-1-क-38-21
लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे आबकारी अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 2021)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से चीनी विनिर्मित किये जाने के दौरान उप उत्पाद के रूप में उत्पादित गाढ़े, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो, जिसमें बी—हैवी शीरा और खाण्डसारी शीरा सम्मिलित है।

धारा 8 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उप धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

"(4) राज्य सरकार, समय—समय पर ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर, जैसा विहित किया जाये, किसी चीनी कारखाना से शीरा का किसी प्रकार का विक्रय, अंतरण या आपूर्ति किये जाने पर शीरा के ऐसे संरक्षण, आपूर्ति एवं वितरण पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने पर उपगत लागत तथा व्ययों को पूरा करने हेतु विनियामक फीस अधिरोपित कर सकती है और ऐसी फीस की वसूली, चीनी कारखाना के अध्यासी से की जा सकती है।''

(ii) उप धारा (5) निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा मूल्य के नियंत्रण, भण्डारण, श्रेणीकरण तथा उसकी आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) अधिनियमित किया गया है। बिना किसी लेबोरेटरी तकनीकी विशेषज्ञ के चीनी मिलों में उत्पादित शीरे और खाण्डसारी शीरे में अंतर कर पाना अत्यंत दुष्कर है तथा जिसके कारण चीनी मिलों में उत्पादित शीरे की तस्करी, खाण्डसारी शीरे की आड़ में की जाती है। ऐसे तस्करीकृत शीरे का उपयोग विभिन्न अवैध उत्पादों, विशेष रूप से अवैध मदिरा के निर्माण में किया जाता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुज्ञा याचिका सं0—4796/1998 मेसर्स कुराली खाण्डसारी उद्योग बनाम आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश व अन्य में यह कहा है कि खाण्डसारी शीरा सहित किसी भी शीरा का प्रदेश के बाहर निर्यात, बिना शीरा नियंत्रक की अनुज्ञा के नहीं किया जायेगा। खाण्डसारी शीरा में चीनी का अंश, चीनी मिल में उत्पादित शीरा में चीनी के अंश की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसे समस्त संघटक, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) में शीरे की परिभाषा में सम्मिलित हैं, खाण्डसारी शीरे में भी प्रयुक्त होते हैं। खाण्डसारी शीरे की आड़ में चीनी मिल में उत्पादित शीरे की तस्करी को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि शीरे की परिभाषा में खाण्डसारी शीरे को सम्मिलित करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

अग्रतर यह कि यह आवश्यकता अनुभव की गयी है कि चीनी मिलों से उन्मोचित शीरे की बिक्री, अतंरण या आपूर्ति पर, ऐसे उन्मोचित शीरे के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की लागत तथा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विनियामक शुल्क अधिरोपित किया जाए। उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और 8 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1093(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-38-21

Dated Lucknow, December 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2021. The Aabkaari Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam:

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (DWITIYA SANSHODHAN)

(ADHINIYAM), 2021

(U.P. Act no. 35 of 2021)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 .

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act") *for* clause (d), the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(d) 'molasses' means the heavy, dark coloured viscous liquid produced as by-product during the manufacture of sugar from sugarcane or gur, when the liquid as such or in any form of admixture contains sugar including B-Heavy molasses and Khandsari molasses."

Amendment of section 8

3. In section 8 of the principal Act,—

(i) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(4) The State Government may, in such manner and at such rates as may be prescribed from time to time, impose on any sale, transfer or supply of molasses from a sugar factory, regulatory fees to meet the cost and expenses incurred on supervision and control over such preservation, supply and distribution of molasses and such fee shall be recoverable from the occupier of the sugar factory."

(ii) sub-section (5) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 24 of 1964) has been enacted to provide for the control, storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

It is very difficult to differentiate between molasses produced by sugar mills and Khandsari molasses without an expert lab technician and because of which the molasses produced by sugar mills is easily smuggled in the garb of Khandsari molasses. Such smuggled molasses is used for production of various illegal products especially illicit liquor . The Hon'ble Supreme Court in Special Leave Petition no. 4796/1998 M/s Kurali Khandsari Udhyog *V/s* Excise Commissioner and Controller Molasses, Uttar Pradesh and others has also directed that no molasses including Khandsari molasses, should be exported outside the State of Uttar Pradesh without the prior approval of the Controller. Sugar content in Khandsari molasses is greater than that in the molasses produced in sugar mill. All the ingredients which are included in the definition of molasses in clause (d) of section 2 of the said Act, are also applied to Khandsari molasses. In order to discourage the smuggling of molasses produced in the sugar mill in the garb of Khandsari molasses, it has been decided to amend the said Act to include Khandsari molasses in the definition of molasses.

Further a need has been felt to impose regulatory fees on the sale, transfer or supply of molasses released from the sugar mill to meet the cost and expenses of supervision, and control over such release of molasses. In view of the above, it has been decided to amend section 2 and 8 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2021 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 492 राजपत्र–2021–(1109)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 141 सा0 विधायी–2021–(1110)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।